न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /

R 117 - I/13

भगवान सिंह पुत्र कोकासिंह , उम्र 28 वर्ष , धान्धा खेती , निवासी ग्राम खेरियातोड तह. मेहगांव जिला भिण्ड म. प्र. ---- आवेदक

बनाम

श्रीमती रामाबाई पत्नी रणवीर सिंह , जाति ठाकुर निवासी ग्राम खेरिया तोड तह. मेहगांव जिला भिण्ड म. प्र. --- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, नये संशोधन आदे. 2011 म.प्र.भू. रा.स. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.12.12 द्वारा पारित तहसीलदार मेहगांव प्रकरण क्र. 12/12-13 /अ-12 रामाबाई विरूद्ध म.प्र. शासन से दुखी होकर ।

--

श्रीमान जी,

आवेदक की निगरानी निम्न तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है:-

1. यहकि, सर्वे नम्बर 37 रकबा 0.084 पर सीमांकन किये जाने हेतु अनावेदिका द्वारा एक आवेदन तहसील मेहगांव के समक्ष दिनांक 20.3.12 को प्रस्तुत किया तथा मौजा पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने कार्यालय पर ही बैठकर सीमांकन कार्यवाही कर दी गई मौके पर विवादित स्थल पर सीमांकन ही नहा किया गया तथा फिल्ड बुक पंचनामा अपने कार्यालय पर ही बैठकर तैयार कर तहसील न्यायालय में पेश किया जिसे तहसीलदार मेहगांव द्वारा दिनांक 15.12.12 को पुष्ट कर दिया गया जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की जा रही है ।

XXIX(a)-BR(H)-11

(94)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-117-तीन/13 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	